N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0220 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/08/2025 13:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/08/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/08/2025 13:50:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 120 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MAHWA NAGAR PALIKA JILA DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** OMPRAKESH HURLA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHIVCHARAN MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1962 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAMKUTEER UAKRUND, MAHUWA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAMKUTEER UAKRUND, MAHUWA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-[redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KUMAR MEENA		पिता:JAWAN SINGH	1. NITAR,BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SHEELA DEVI		पिता:RAMRAJ GURJAR	1. PURANE CINEMA HALL KE PASS,MAHWA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA
3	ROHITASH MEENA		पिता:MAKKHANLAL MEENA	1. BHUCHPURI,RANI,ALWAR,RAJ
4	UADAYNARAYAN		पिता:SAMAY SINGH GUJAR	1. GRAM NAYAGOAN POST DEVLEN,TODABHEEM,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA
5	LOKESH MITHARWAL		पिता:BRAJMOHAN MITHARWAL	1. AGARWAL PETROL PUMP KE PASS,,GANPATI NAGAR,WARD

				SIKAR,RAJASTHAN,INDIA
6	KAMLESH CHAUDHARY AND OTHERS		पिता:NIMBA RAM CHAUDHARY	1. NAJDIK POKARAN HOUSE,,PANDAV BHAVAN,MAUNT

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		39,98,900.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 39,98,900.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण के हालात इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी श्री ओमप्रकाश हुडला ने शिकायत इस आशय का पेश की कि "अधिशाषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता एवं कनिष्ठ लेखा सहायक द्वारा नगरपालिका कार्यालय महवा एवं फायर स्टेशन महवा के लिये दो अलग-अलग 10 किलोवाट (प्रत्येक) ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवाये हैं, जिसमे नगरपालिका महवा ने गम्भीर भ्रष्टाचार करके भारी वित्तीय घोटाला करके सरकारी खजाने से लाखों रूपये का गबन किया है जो निम्नलिखित रूप में वर्णित है- 1. बिना किसी टेंडर प्रक्रिया का पालन किये एक ही फर्म PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR JAIPUR को 2499450 रुपये के दो कार्यादेश जिनकी कुल राशि 4998900 रूपये बनती है। उक्त कृत्य RTPP ACT 2012 एवं राजस्थान सरकार के वित्तीय विभाग द्वारा बनाये गये वित्तीय पारदर्शिता के नियमों का खुला उल्लंघन है। 2. इस कार्य में नगरपालिका महवा ने भारी वित्तीय गडबडी की है। वर्तमान में प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार हमारे देश में उच्चतम गुणवत्ता के ऑन ग्रिड सोलर एनर्जी प्लांट की सम्पूर्ण स्थापना लागत प्रतिवाट अधिकतम 50 रूपये प्रतिवाट है, जिसके अनुसार 10 किलोवाट प्लांट की लागत अधिकतम 5 लाख रूपये आती है एवं हमने व्यक्तिगत रूप से 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के कोटेशन लिये जिसका कुल मूल्य 3,75,000/- रूपये ही हैं और नगरपालिका महवा में बिना किसी गुणवत्ता का परीक्षण 10 किलोवाट सोलर प्लांट के लिये बिना किसी टेंडर/विडिंग प्रोसेस के सीधे ही अपनी मनचाही फर्म PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD को 2 सोलर प्लांट 10 किलोवाट प्रत्येक के लिये 2499450 रूपये के दो कार्यादेश जारी कर दिये एवं कार्य पूर्ण करवाकर भुगतान भी कर दिया, जिममें लगभग वास्तविक लागत मूल्य से 6 गुणा से भी अधिक राशि के कार्यादेश दिये गये जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को दिखाता है। 3. किसी भी सरकारी निकाय के कोई भी कार्य, माल या सेवायें लेनी होती हैं, जिसके लिये सरकारी धन का व्यय हो रहा हो यहाँ उस निकाय को राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियम, कानून एवं नीति का पालन किया जाना बाध्यकारी है। नगरपालिका महवा के अधिशाषी अधिकारी ने सरकारी नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से अपनी मनचाही फर्म को बुलाकर लगभग 50 लाख रूपये के कार्यादेश सौंप दिये जो गम्भीर रूप से गलत आचरण है। इस उक्त कार्य में ना ही गुणवत्ता के कोई मानक तय किये एवं ना ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाया है। 4. नगरपालिका महुवा द्वारा बिना किसी तकनीकी स्वीकृति लिए उक्त फर्म को 30 सितम्बर 2024 को सोलर प्लांट लगाने के लिए निवेदन किया है। उसके बाद आनन-फानन में ही बिना किसी जानकारी किए 01.10.2024 को कार्य आदेश दे दिया गया और 03.10.2024 को कार्य पूर्ण भी हो गया और कार्य पूर्ण भी करना दिखा दिया और M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR के द्वारा नगरपालिका महुया को बिल संख्या 103 राशि 2499450 एवं बिल संख्या 104 राशि 2499450 राहित 4998900 के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिये है, उसके बाद उक्त फर्म को बैकडेट में चैक जारी किया गया जिसका भुगतान 07 दिसम्बर 2024 को उक्त फर्म के खाते में हो

गया है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका महवा ने उक्त फर्म के मालिक निदेशक मिठारवाल से सांठ-गांठ कर 3,75,000 रुपये का माल 2499450 रूपये का खरीदा है और ये सारी कार्यवाही बेक डेट में इसलिए की गई है क्योंकि 25.11.2024 को राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका महवा में चैयरमैन के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी महवा को प्रशासक के पद पर लगा दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी महवा (नगरपालिका प्रशासक) से छिपाकर भ्रष्टाचार को अन्जाम दिया गया है जिसके कारण बेकडेट में बैंक बनाकर 4998900 राशि का भुगतान 7 दिसम्बर 2024 को किया गया है। 5. साथ ही जानकारी मिली है कि M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR ने पूरे प्रदेश स्तर पर नगरपालिका के अधिकारियों से मिलकर 3 लाख 75 हजार रूपये के सोलर प्लान्ट को 2499450 रूपये में खरीद कर कई करोड़ों रूपये का घोटाला किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उसका उक्त सम्पूर्ण भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषियों को सजा एवं सरकारी धन की रिकवरी कराने की कृपा करे। वगैराह के सम्बंध में परिवाद प्राप्त हुआ एवं उक्त परिवाद की जांच हेतु राजस्थान सरकार स्वाम्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर के जरिये कार्यालय पत्रांक एफ.2(क)()भ्र0नि0ब्यूरो/जांच/डीएलबी/24/38 दिनांक 03.01.2025 द्वारा धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 संशोधन के तहत पुर्वअनुमोदन स्वीकृति दी गई, जिस पर मुख्यालय द्वारा उक्त शिकायत आरनं0 8348 दिनांक 23.12.2024 पर प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने का निर्णय लिये जाने पर श्री नवलकिशोर उपअधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा के पत्रांक 224-26 दिनांक 25.02.2025 द्वारा प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने हेतु प्रारूप प्रेषित किया गया, जिस पर ब्युरो मुख्यालय द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 19/2025 दिनांक 27.02.2025 दर्ज कर श्री नवलकिशोर उप अधीक्षक पुलिस को जांच सुपुर्द की गई थी, दौराने जांच उपअधीक्षक पुलिस द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका महवा को पत्र जारी कर प्राथमिक जांच के सम्बंध में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। तत्पश्चात् ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्राथमिक जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर को जरिये कार्यालय पत्रांक 243 दिनांक 05.03.2025 से सुपुर्द करने के आदेश किये गये, जिस पर दिनांक 10.03.2025 उक्त प्राथमिक जांच कार्यालय में प्राप्त हुई एवं अग्रीम जांच हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस सुपुर्द की गई। प्राथमिक जांच पत्रावली का अवलोकन किया तो पत्रावली में परिवादी श्री ओमप्रकाश हुडला द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न कार्यालय नगर पालिका मंडल महवा दौसा की कैमेरे से खीची हुई कार्यालय टिप्पणी की फोटो प्रतियां एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका महवा द्वारा प्रबंध निदेशक, M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICE PVT.LTD., R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR को जारी पत्र सोलर प्लांटस लगाने सम्बंधित टैक्स इनवोईस की फोटो प्रतिया शामिल है। दौराने जांच प्रशासक, नगर पालिका-महवा, जिला दौसा को कार्यालय के पत्रांक 430 दिनांक 26.03.2025 जारी कर सोलर प्लान्ट लगाने सम्बधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति (नोटशीट, पत्र व्यवहार, कोटेशन, कार्य आदेश, भुगतान सम्बधित बिल आदि), सोलर प्लान्ट लगवाने बाबत् नगर पालिका द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई और कोई समिति बनाई गई तो समिति के कौन-कौन सदस्य थे।, सोलर प्लान्ट लगाने सम्बधित तकनीकी राय ली गई अथवा नही, अगर तकनीकी राय नही ली गई तो क्या कारण रहा।, कोई निविदा जारी की गई अथवा नही, अगर निविदा जारी नहीं की गई तो क्यों नही की गई। M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICE PVT.LTD., R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR डायरेक्टर/प्रतिनिधि का नाम पता व सम्पर्क नम्बर, नगर पालिका महवा में सोलर प्लान्ट लगाने सम्बधित प्रक्रिया में कमेटी के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को भिजवाने हेतु लिखा गया था, जिस पर अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका महवा ने कार्यालय पत्रांक 3506 दिनांक 28.3.2025 द्वारा अवगत कराया कि उक्त सूचना के सम्बंध में नगर पालिका से रिकॉर्ड चोरी/गायब आदि के सम्बंध में पुलिस थाना महवा में विभिन्न प्रकरण 61/2024, 26/2025 व 27/2025 दर्ज कराये गये है, इसलिये सूचना उपलब्ध करवाया जाना मम्भव नही होना लिखा है। पुलिस थाना महवा में दर्ज प्रकरण संख्या 26/2025 धारा अन्तर्गत 303(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो परिवादी श्रीमती शीला रामराज गुर्जर, चैयरमेन, नगर पालिका-महवा द्वारा आरोपीगण श्री राजेश मैनी, कैशियर नगर पालिका-महवा व श्री ओम प्रकाश हुडला के खिलाफ उक्त दोनो सोलर प्लान्ट की पत्रावलियां को खुर्द-बुर्द करने सम्बधित प्रकरण दर्ज करवाया गया। प्रकरण संख्या 27/2025 धारा अन्तर्गत 303(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में परिवादी श्री सुरेन्द्र मीणा नगर पालिका-महवा द्वारा आरोपीगण श्री राजेश सैनी, कैशियर नगर पालिका-महवा के खिलाफ पत्रावलियां को खुर्द-बुर्द करने सम्बधित प्रकरण दर्ज करवाया गया। दौराने जांच नगरपालिका महवा जिला दौसा एवं फायर स्टेशन महवा पहुंचकर उक्त दोनो भवनो पर लगे सोलर प्लाटंस को देखा गया तो दोनो प्लाटंस में 18-18 सोलर प्लेटस ऑन ग्रिड लगी हुई है और सोलर पैनल के चारो और बंदरो के नुकसान से बचाने के लिए लोहे की जाली से कवर किया हुआ है। कार्यालय नगर पालिका में उपस्थित श्री रोहिताश मीणा कनिष्ठ अभियंता ने दरियाफ्त पर बताया कि नगर पालिका व फायर स्टेशन, महवा में सोलर प्लान्ट लगाने की प्रक्रिया में नगर पालिका ई.ओ. श्री सुरेन्द्र मीणा, नगर पालिका चैयरमैन श्रीमती शीला देवी, महुवा बिजली विभाग का एईएन, श्री रोहिताश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एएओ श्री उदय नारायण, कनिष्ठ सहायक श्री राजेश कुमार मीणा व श्री राजेश सैनी सहित मैं स्वयं शामिल था। उक्त दोनो सोलर प्लान्ट लगाने सम्बधित प्रक्रिया की पत्रावली चाही गई तो नगर पालिका व

फायर स्टेशन, महवा पर सोलर प्लान्ट ऑन ग्रिड लगाने सम्बधित पत्रावलियां चोरी होने का प्रकरण संख्या 26/2025 दिनांक 12.01.2025 दर्ज होना अवगत कराया गया। दौराने जांच PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR के डायरेक्टर को कार्यालय पत्रांक 525 दिनांक 06.11.2025 जारी कर जांच सम्बंधित सूचना चाही गई, जिस पर कंपनी के डायरेक्टर श्री लोकेश निठारवाल ने दिनांक 15.04.2025 नगरपालिका भवन व फायर स्टेशन भवन महवा में लगाये गये सोलर प्लाटंस सम्बंधित संक्षिप्त विवरण, अधिशाषी कार्यालय महवा को सोलर प्लाटंस लगाने सम्बंधित किये गये पत्राचारो की रंगीन प्रमाणित प्रतियां पेश की गई एवं पूछताछ करने पर श्री लोकेश निठारवाल बताया कि उक्त कम्पनी 26/06/2023 से अस्तित्व आयी। कम्पनी में मेरे अलावा श्री कमलेश चौधरी डायरेक्टर है व कम्पनी का मुख्य कार्य सोलर लगाना और मेन्टिनेश करना है। मैन्टिनेंस के अन्तर्गत साल में 12, 24, 36 48 बार विजिट करना, जिसका सर्विस चार्ज 50 रूपये से 200 रूपये प्रति किलोवाट होता है और मेन्टिनेंस में प्लांट की सफाई, टेक्निकल निरीक्षण, युनिट ट्रेकिंग और प्लांट मॉनिटिरिंग करना होता है। कंपनी द्वारा अब तक केवल जयपुर में लगे प्लांट का ही मैटिनेंस का कार्य करते है और जयपुर से बाहर मैटिनेंस का कार्य नही किया जाता है। तत्पश्चात् इसी आधार पर नगर पालिका महवा जिला दौसा में दिनांक 18/01/2024 को सोलर लगाने के लिये कंपनी के डायरेक्टर द्वारा लिखित में नगरपालिका ईओ श्री सुरेन्द्र मीणा को प्रस्ताव दिया, जिस पर प्रस्ताव में Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 ¼Act No- 21 of 2012½ के नियम और कम्पनी की डिटेल और सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया लिखी गई थी। तत्पश्चात् लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नही गई। आचार संहिता हटने के बाद कंपनी डायरेक्टर द्वारा नगर पालिका में सोलर लगाने के लिये ईओ सुरेन्द्र मीणा से सम्पर्क किया तो उन्होने नगर पालिका बिजली का बिल भिजवा दिया। तत्पश्चात् महवा नगर पालिका में ईओ श्री सुरेन्द्र मीणा के पीए रासिद खान ने कंपनी डायरेक्टर को सोलर लगाने के संबंधित मौखिक शर्ते अवगत करवाकर, जिसमें सोलर पेनल सबसे लेटेस्ट जनरेशन के होने व साथ ही सबसे अधिक वर्षो वाली वारन्टी वाले पेनल देवें इसी आधार पर इन्वेटर जो अधिक से अधिक वारण्टी प्रदान करे, इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक प्लान्ट की मेन्टेनेश प्रदान करें। इसी आधार पर कंपनी द्वारा नगर पालिका को रिवाई प्रोपजल दिया, जिस पर दिनांक अंकित नही है रिवाई प्रोपजल में नगर पालिका भवन महवा व फायर स्टेशन महवा दोनों पर 10-10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसकी विशेष सुरक्षा के लिये मंकी प्रोटेक्शन नेट, स्ट्रचर, 15 साल की-सोलर प्लांट मेन्टेन्श (सरकार के नियमानुसार मेन्टिनेश केवल 05 साल के लिये दिया जाता है), 360 मेन्टीनेश विजिट, त्रिमासिक प्लांट रिपोर्ट जिसमें इन्वेटर व पेनल की एफीसेन्सी रिपोर्ट, ऑन लाईन ट्रेकिंग सिस्टम, सोलर पैनल डेमेड इन्श्योरेन्स कवर, के सोलर प्लांट लगाने का दिया था। इसकी लागत 25-25 लाख रूपये होना बताई। इसके बाद दिनांक 30/09/2024 को नगर पालिका द्वारा एक्सपेशन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआई) के तहत लेटर ऑफ इन्टेन्ट दिनांक 30/09/2024 को प्राप्त हुआ, जिसमें ईओ श्री सुरेन्द्र मीणा के हस्ताक्षर थे। इसके आधार पर दिनांक 01/10/2024 को दोनों स्थान 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने के लिये वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसके तहत हमारी कम्पनी द्वारा दोनो स्थानो पर 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा कर कार्य सम्पन्न किया गया। उक्त दोनो स्थान पर Jakson Mono Byfical कम्पनी के 18-18 पेनल लगाये थे और K-Solar का इन्वेटर लगाया था और नगर पालिक के ईओ द्वारा अवगत करायी आवश्यकतानुसार एन्टी मंकी प्रोटेक्शन नेट भी लगाई गई थी। कार्य पूर्ण करने के बाद दिनांक 03/12/2024 को इन्वोईस न. 103 दिनांक 03/12/2024 व 104 दिनांक 03/12/2024 को नगर पालिका महवा के नाम जारी किया जिनमें प्रत्येक इन्वोईस में 10 ऑन ग्रिड सिस्टम, 30 साल वारण्टी, 10 साल सोलर इन्वर्टर वारण्टी के 2499450/- रूपये होना अंकित किया। इसके बाद दिनांक 07/12/2024 को 22,496,450/- रूपये के दो अलग अलग चैक से कम्पनी को भुगतान किया गया और उसी दिन चैक बैक में लगा दिया और उसी दिन कुल 4498900/- रूपये कम्पनी के बैंक खाते में आना प्रकट हुआ है और पांच लाख रूपये एसडी के रूप में रोका जाना अवगत कराया गया है। कंपनी के डायरेक्टर ने नगर पालिक ईओ श्री सुरेन्द्र मीणा व उसका पीए श्री रासीद खान द्वारा देखना अवगत कराया गया है। उक्त जांच के क्रम में अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री सुर्यघर योजना, जयपुर डिस्कॉम को कार्यालय पत्रांक 679 दिनांक 15.05.2025 जारी कर कंपनी द्वारा नगरपालिका व फायर स्टेशन महवा पर लगाये गये 10-10 किलोवाट के सोलर प्लांट का भौतिक सत्यापन करने सम्बंधित रिपोर्ट देने बाबत् लिखा गया था, जिस पर अधीक्षण अभियंता पीएम सुर्यघर, जयपुर डिस्कॉम के पत्रांक 191 दिनांक 16.05.2025 के संलग्न कमेटी द्वारा की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया तो श्री रविप्रकाश मीना, सहायक अभियन्ता खौहरामुल्ला, श्री महेश चंद्र गुप्ता सहायक अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, मण्डावर व श्री यूएस महावर अधिशाषी अभियंता जयपुर डिस्कॉम महवा द्वारा उक्त 10-10 किलोवाट ऑनग्रिड सोलर प्लांटस की संयुक्त जांच की रिपोर्ट में अंकित किया कि 1. नगर पालिका महवा की सोलर प्लांट में 18 प्लेट, जिन पर Jakson Engineers limited Model Number JH- 550BT लिखा हुआ है 2. फायर स्टेशन प्लांट पर भी 18 सोलर प्लेट लगी हुई, परन्तु ऊंचाई होने के कारण प्लांट के सिरियल नम्बर देखना सम्भव नही है। उक्त प्लांट की कीमत का निविदा व बिल सम्बंधित जानकारी के बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आकलन करना संभव नही है। इस प्रकार उक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में भी सोलर प्लांट की कीमतो का आकलन नही करना प्रकट हुआ है। दौराने जांच निम्नानुसार तथ्य प्रकट

हुए है। 1. नगर पालिका महवा व फायर स्टेशन महवा दौसा में लगाये गये सोलर प्लांटस सम्बंधित नोटशीट के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उक्त सोलर प्लांटस लगाने की निविदा प्रक्रिया नियमानुसार आमंत्रित नही होकर सीधे ही M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR को आवंटित किया गया और उक्त सोलर प्लांटस में भ्रष्टाचार उजागर होने पर सोलर प्लांट लगाने की मूल पत्रावली नगरपालिका महवा से खुर्दबुर्द व गायब करने से सम्बंधित प्रकरण पुलिस थाना महवा में दर्ज है। 2. M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR द्वारा अधिशाषी कार्यालय महवा को सौर उर्जा प्लाटंस लगाने का अनुरोध पत्र किस दिनांक को जारी किया गया, इसका कही उल्लेख नही है एवं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम स्थापना हेतु संशोधित प्रस्ताव पत्र में भी तारीख का उल्लेख नही है एवं रख रखाव सेवाए में 5-10 वर्ष की मैटिनेंस और सभी सुविधा, 360 मेंटिनेंस विजीट्स व त्रैमासिक प्लांट रिपोर्ट, ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम एवं सोलर पैनल डैमेज इश्योरेंस कवर देने सम्बंधित लिखा गया है व सोलर पैनल की 25 से 30 वर्ष की वारण्टी देना भी लिखा गया है। कंपनी द्वारा किस कंपनी की सौलर प्लाटंस लगाये जायेगें, इसका कई उल्लेख नही किया है। 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका महवा द्वारा प्रबंध निदेशक M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD को जरिये पत्रांक 2368 दिनांक 30.09.24 में सौलर पैनल की 30 वर्ष की न्युनतम गारण्टी चाही गई, जबकि कंपनी द्वारा पैनल की वारण्टी 25 से 30 दी जाना प्रकट हुआ है, इसी तरह इन्वर्टर की 8-10 वर्ष की जगह न्युनतम 10 वर्ष होना बताया है। 4. दिनांक 03.10.2024 को जारी इन्वोईस नम्बर 103 व इनवोईस नम्बर 104 में कुल राशि 2499450/- रूपये का है, जिसमें जीएसटी सीएसटी के अलावा मुल लागत 2192500/- रूपये दर्शायी है, जो सौलर प्लेटस व उसकी 30 साल की वारण्टी व इन्वर्टर की 10 साल वारण्टी की संयुक्त राशि दर्शायी है, जबकि सौलर पैनल व उसके 30 साल के मैन्टीनेंस एवं इन्वर्टर की लागत व उसकी वारंटी की अलग-अलग राशि दर्शायी जानी थी, जो दर्शायी नही गई है। M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD के डायरेक्टर द्वारा 10-10 किलोवाट सोलर प्लाण्ट्स में लगाये गये, उक्त सोलर प्लेट्स और अन्य आईट्मस की कंपनी का नाम व बिल बाउचर प्रस्तुत नही किये गये है, जो सोलर प्लांटस की लागत स्पष्ट रूप से संदिग्ध प्रकट होती है। 5. दिनांक 01.10.2024 को दोनो स्थानो पर सोलर प्लांट लगाने का वर्क ऑर्डर नगर पालिका महवा द्वारा जारी किया गया एवं 03.10.2024 को कंपनी द्वारा इन्वोईस जारी किया गया, इससे यह प्रतीत होता है कि सोलर प्लांट दिनांक 01.10.2024 से 03.10.2024 के मध्य लगाया गया एवं कंपनी द्वारा अपनी सेवा व शर्तो के अनुसार सोलर पैनल के मैटिनेंस हेतु त्रेमासिक विजीट करना आवश्यक है परन्तु दिनांक 21.04.2025 को कंपनी के डायरेक्टर श्री लोकेश मिठारवाल ने पूछताछ में एक बार भी उक्त दोनो सोलर प्लांटो पर मेंटिनेंस हेतु विजीट करना नही बताया। इससे यह प्रतीत होता है Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 ¼Act No- 21 of 2012) के प्रावधान अनुसार केवल मात्र 25 लाख रूपये के अन्दर खर्च करने का मंतव्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 6. कंपनी द्वारा दिये गये प्रस्ताव एवं नगर पालिका द्वारा दिये गये वर्क ऑर्डर में सोलर प्लांट की प्लेटो को बंदरो से बचाने के लिए लोहे की जाली लगाने का कही उल्लेख नही है, जबकि मौके पर सोलर प्लेटो की चारो तरफ लोहे की जाली बंदरो से बचाने के लिए लगी हुई है। यह नगर पालिका द्वारा किस मद से लगाई गई है, इसका कही उल्लेख नही है, जबकि कंपनी के डायरेक्टर श्री लोकेश मिठारवाल द्वारा उक्त जाली कंपनी द्वारा लगाना बताया है। इससे यह प्रतीत होता है कि नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी व अन्य कमेटी सदस्यो तथा कंपनी के डायरेक्टर द्वारा सरकारी पैसो का दुरूपयोग कर बिलो में समायोजित है। उक्त लोहे की जाली के खर्च का इनवोईस बिलो में भी उल्लेख नही है। 7. वर्तमान में भारत सरकार चलाये गये निजी व सरकारी भवनो पर सौर उर्जा प्लांट लगाने के लिए चलाई गई विभिन्न योजना के तहत 10 किलोवाट के सोलर प्लांट की अनुमानित लागत मय वारण्टी 05 लाख रूपये आती है। जबकि नगर पालिका व फायर स्टेशन महवा पर लगाये गये 10-10 किलोवाट सोलर प्लाण्ट्स की लागत 24,99,550 प्रति प्लांट आयी है, इस प्रकार उक्त प्लाटंस लगाये जाने में काफी मात्रा में भ्रष्टाचार होना प्रतीत होता है। 8. नगर पालिका व फायर स्टेशन महवा पर लगाये गये सोलर प्लांट्स लगाने सम्बंधित नगरपालिका महवा में संधारित मूल पत्रावलियां गायब व खुर्द बुर्द कर पुलिस थाना महवा में प्रकरण संख्या 26/2025 व 27/2025 दर्ज करवाया गया, ताकि किये गये भ्रष्टाचार उजागर नही हो सके। 9. M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR को उक्त सोलर प्लान्टस की एवज में कुल राशि 44,98,900/- रूपये का भूगतान किया जा चुका है व 5 लाख रूपये एसडी के रूप में रोकना प्रकट हुआ है। उक्त भूगतान सोलर प्लाण्ट्स् की लागत प्लांटस की वास्तविक लागत गणना किये बिना भुगतान करना दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार नगर पालिका व फायर स्टेशन महवा दौसा पर लगाये गये 10-10 किलोवाट सोलर प्लाण्ट्स ऑन ग्रिड लगाने के सम्बंध में नगर पालिका महवा जिला दौसा में गठित कमेटी के सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, श्रीमती शीला देवी तत्कालीन चैयरमेन, श्री रोहिताश मीणा जेईएन, श्री उदयनारायण एएओ व कमेटी में शमिल अन्य कर्मचारीगण तथा M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR के निदेशक श्री लोकेश मिठारवाल व श्री कमलेश चौधरी ने आपस में मिलिभगत कर उक्त सोलर प्लांटस की वास्तिविक लागत से काफी अधिक लागत में लगाये जाकर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करने के तथ्य

प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उपरोक्त आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(A) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगगण 1. श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, नगर पालिका महवा जिला दौसा 2. श्रीमती शीला देवी तत्कालीन चैयरमेन नगर पालिका महवा दौसा 3.श्री रोहिताश मीना कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका महवा जिला दौसा 4. श्री उदयनारायण एएओ 5. M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR के निदेशक श्री लोकेश मिठारवाल व श्री कमलेश चौधरी 6. कमेटी में शमिल अन्य कर्मचारीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(A) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 13(1)(A) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में 1. श्री सुरेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जवान सिंह मीना उम्र 32 साल निवासी निटार, भूसावर जिला भरतपुर तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, नगर पालिका महवा जिला दौसा 2. श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री रामराज गुर्जर उम्र 45 साल निवासी पुराने सिनेमा हॉल के पास, महवा जिला दौसा तत्कालीन चैयरमेन नगर पालिका महवा जिला दौसा 3. श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री मख्खनलाल मीणा उम्र 29 साल निवासी भुचपुरी तहसील रेणी जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका महवा जिला दौसा 4. श्री उदयनारायण पुत्र श्री समय सिंह गुर्जर उम्र 36 साल निवासी ग्राम नयागांव पोस्ट देवलेन तहसील टोडभीम जिला करौली हाल सहायक लेखाधिकारी-II नगर पालिका महवा जिला दौसा 5. M/s PRO GOCLEAN SOLAR SERVICES PVT LTD, R-CAT, TONK ROAD, ASHOK NAGAR, JAIPUR के निदेशक श्री लोकेश मिठारवाल पुत्र श्री ब्रहमोहन मिठारवाल उम्र 28 साल निवासी अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास, गणपति नगर वार्ड नम्बर 04, नीमकाथाना सीकर हाल किरायेदार प्लाट नं0 18, क्षीरसागर कोलोनी, पत्रकार कोलोनी, जयपुर व श्री कमलेश चैधरी पुत्र श्री निम्बा राम चैधरी उम्र 31 साल निवासी नजदीक पोकरण हाउस, पांडव भवन, माउंट आबु, सिरोही 6. कमेटी में शमिल अन्य कर्मचारीगण के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 541 पर अंकित है।(अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1253-57 दिनांक 28-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या -2, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- निदेशक,स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान,जयपुर। 4 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जॉच संख्या 19/2025) उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan prakash naval **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/08/2025 13:5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Male	1980				
3	Male	1996				
4	Male	1989				
5	Male	1997				
6	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)